संख्या-240/2025/2055/001-23-9002(002)/56/2025

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 13 दिसम्बर, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 में मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण/पुननिर्माण/मिसिंग लिंक के निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न जनपदों के 49 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 में मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण/पुननिर्माण/मिसिंग लिंक के निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न जनपदों के 49 नये कार्यों हेतु कुल लागत रू0 58.3791 करोड़ (रूपये अठ्ठावन करोड़ सैतीस लाख इक्यानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष स्तम्भ-10 के अनुसार प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 44.7772 करोड़ (रूपये चौवालीस करोड़ सतहत्तर लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:- (धनराशि रू0 लाख में)

क्र	मुख्य अभियंता(मु0-1) का पत्र	क्षेत्र/मण्डल	जनपद/खण्ड	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	निर्माण लागत	अनुरक्षण लागत	लागत	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2426/(99)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	आगरा	आगरा/ नि0ख0-2	बैनई से ऑवलखेड़ा मार्ग का नवनिर्माण का कार्य ।	1.600	89.98	6.54	96.52	73.78
2	2426/(99)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	आगरा	आगरा/ नि0ख0-2	उसर्रा से करबल तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य ।	1.450	88.42	5.55	93.97	72.50
3	2426/(99)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	आगरा	मैनपुरी/ नि0ख0	संसारपुर से गढिया मार्ग का नवनिर्माण का कार्य ।	1.100	76.70	5.57	82.27	62.89
4	2436 (99-I)/समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 29-09-2025	अलीगढ	हाथरस/प्रा0खं0	राया सादाबाद मार्ग से गढी उल्हासी प्रा0वि0 होते हुए सादाबाद नगर पंचायत सीमा तक मार्ग का नव निर्माण कार्य	1.400	104.62	7.60	112.22	85.79
5	2426/(99)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	अयोध्या	अमेठी/ प्रा0ख0	मथुरा सोनार का पुरवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।	1.100	69.10	5.02	74.12	56.66
6	2426/(99)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	अयोध्या	अमेठी/ प्रा0ख0	खलवा से गुडरे होते हुये प्रा0पा0 बसायकपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।	1.350	77.02	5.59	82.61	63.16
7	2426/(99)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	आजमगढ़	मऊ/ नि0ख0	ग्रामसभा लौवासाथ में पानी टंकी से हड़ही सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य ।	1.000	66.98	4.86	71.84	54.92
8	2426/(99)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	बांदा	चित्रकूट/ नि0ख0-1	गौतम पुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य ।	2.500	174.55	12.80	187.35	143.13
9	2426/(99)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	बरेली	शाहजहॉपुर/ प्रा0ख0	बहादुरपुर बुजुर्ग चौराहा से पटई तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य ।	1.450	139.03	7.64	146.67	114.00
10	2430/(99)/समग्र वृत्त/2025-25 दि0 29-09-2025	देवीपाटन	गोण्डा प्रा0खं0	ककरघटा का मजरा तुलसीपुर सम्पर्क मार्ग	1.000	65.92	4.79	70.71	54.05

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र	मुख्य अभियंता(मु0-1) का पत्र	क्षेत्र/मण्डल	जनपद/खण्ड	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	निर्माण लागत	अनुरक्षण लागत	लागत	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि
11	2430/(99)/समग्र वृत्त/2025-25 दि0 29-09-2025	देवीपाटन	गोण्डा नि0खं0-२	पूरे बहोरी का मजरा मदरहा तक सम्पर्क मार्ग	1.100	89.65	6.51	96.16	73.51
12	2430/(99)/समग्र वृत्त/2025-25 दि0 29-09-2025	देवीपाटन	गोण्डा नि0खं0-२	पूरे बहोरी का मजरा मुरावनपुरवा तक सम्पर्क मार्ग	1.600	127.40	9.34	136.74	104.47
13	2430/(99)/समग्र वृत्त/2025-25 दि0 29-09-2025	देवीपाटन	गोण्डा नि0खं0-२	रायपुर फकीर का मजरा बढ़ईपुरवा सम्पर्क मार्ग	1.800	144.24	10.57	154.81	118.28
14	2451(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	झाँसी	ठरई/ नि0ख0- 3	अटरिया से नसीरपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	2.650	191.09	13.33	204.42	156.69
15	2436 (99-I)/समग्र वृत/2025-26 दिनांक 29-09-2025	लखनऊ	हरदोई/ नि0खं0-2	भिखमंगूपुरवा सम्पर्क मार्ग	1.050	69.68	5.06	74.74	57.14
16	2436 (99-I)/समग्र वृत/2025-26 दिनांक 29-09-2025	लखनऊ	लखनऊ/ प्रा0खं0	लखनऊ कुर्सी मार्ग किमी0 9 से अंग्रेज फार्म चौराहा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	1.950	183.96	10.10	194.06	150.85
17	2444(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	मेरठ	मेरठ/ प्रा0ख0	बली से अहमद नगर बढला मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	2.250	159.48	11.69	171.17	130.77
18	2426/(99)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	प्रयागराज	फतेहपुर/ नि0ख0-2	चाँदपुर लहुरीमऊ मार्ग से जालिम का डेरा मार्ग ।	1.050	71.92	5.23	77.15	58.97
19	2426/(99)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	प्रयागराज	प्रयागराज/ नि0ख0-4	हनुमानगंज दुर्वासा मार्ग के किमी 2.00 से टोडरपुर (रामनाथपुर) सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य।	1.500	88.32	6.41	94.73	72.42
20	2426/(99)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	प्रयागराज	प्रतापगढ़/ नि0ख0-1	ग्राम बसुआपुर के अन्तर्गत चमरौटी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य ।	1.500	86.34	6.27	92.61	70.80
21	2430/(99)/समग्र वृत्त/2025-25 दि0 29-09-2025	सहारनपुर	सहारनपुर नि0खं0	भायला नहर की पटरी से नूनाबड़ी तक सम्पर्क मार्ग	1.780	116.10	6.03	122.13	95.20
22	2430/(99)/समग्र वृत्त/2025-25 दि0 29-09-2025	सहारनपुर	मुजफ्फर नगर प्रा0खं0	अन्ती से घटायन मार्ग	1.000	51.30	3.73	55.03	42.07
23	2467/(99)/ स0वृ0 /2025, दि0 03-10-2025	आजमगढ़	बलिया/ प्रा0ख0	बरौली सब्दलपुर मार्ग के किमी0-2 से बाये तरफ महरी गांव होते हुए परमहंस कुटी तक मार्ग का निर्माण कार्य ।	2.000	129.19	9.48	138.67	105.94
24	2467/(99)/ स0वृ0 /2025, दि0 03-10-2025	आजमगढ़	बलिया/ प्रा0ख0	दोहरीघाट सहायक परियोजना से हब्सापुर प्राथमिक विद्यालय तक मार्ग का निर्माण का कार्य ।	1.700	102.64	7.46	110.10	84.16
25	2467/(99)/ स0वृ0 /2025, दि0 03-10-2025	आजमगढ़	बलिया/ प्रा0ख0	बघुडी हरदिया मार्ग से कडसर करनी माइनर तक मार्ग का निर्माण का कार्य ।	3.000	190.65	13.98	204.63	156.33
26	2436 (99-I)/समग्र वृत/2025-26 दिनांक 29-09-2025	बस्ती	संतकबीरनगर/ प्रा0खं0	रामजानकी से बेलौरी मार्ग का निर्माण कार्य	1.000	83.61	6.08	89.69	68.56
27	2512/(99-I)/ स0वृ0 /2025, दि0 09-10-2025	बस्ती	बस्ती/ नि0खं0-1	पिपरा सम्पर्क मार्ग से रिखिया मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	1.600	112.67	8.18	120.85	92.39
28	2512/(99-I)/ स0वृ0 /2025, दि0 09-10-2025	बस्ती	बस्ती/ नि0खं0-1	बस्तिया प्रा0वि0 से बनकटवा मेहरबानपुर दुर्गापुर होते हुए मुडरी मार्ग	2.450	164.04	12.02	176.06	134.51
29	2436 (99-I)/समग्र वृत/2025-26 दिनांक 29-09-2025	बस्ती	बस्ती/ प्रा0खं0	रमवापुर मार्ग से कैथोलिया मार्ग	1.700	114.41	7.35	121.76	93.82
30	2436 (99-I)/समग्र वृत/2025-26 दिनांक 29-09-2025	बस्ती	बस्ती/ प्रा0खं0	कसानगंज भिठरा मार्ग से झुंगिया मार्ग	1.150	77.21	4.86	82.07	63.31
31	2436 (99-I)/समग्र वृत/2025-26 दिनांक 29-09-2025	गोरखपुर	गोरखपुर/ नि0खं0-3	ठाकुर नगर के अन्तर्गत पासी टोला मार्ग का नवनिर्माण कार्य	1.300	102.83	7.47	110.30	84.32
32	2436 (99-I)/समग्र वृत/2025-26 दिनांक 29-09-2025	गोरखपुर	गोरखपुर/ नि0खं0-3	ग्राम लालपुर टीकर छावनी टोला से खंतापार होते हुए बिसबिगहा	1.990	148.33	10.88	159.21	121.63
33	2436 (99-I)/समग्र वृत/2025-26 दिनांक 29-09-2025	गोरखपुर	कुशीनगर/ प्रा0खं0	नौतन हरदो से इमिलिया टोला सम्पर्क मार्ग से मुसहरी टोला सम्पर्क मार्ग	1.500	109.99	7.99	117.98	90.19
34	2444(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	कानपुर	कानपुर देहात/ नि0ख0-1	सुजानपुर खुर्द से हृदयपुर होते हुए त्यागी बाबा आश्रम सरैया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	1.800	116.25	8.44	124.69	95.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र	मुख्य अभियंता(मु0-1) का पत्र	क्षेत्र/मण्डल	जनपद/खण्ड	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	निर्माण लागत	अनुरक्षण लागत	लागत	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि
35	2444(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	कानपुर	कानपुर देहात/ नि0ख0-1	राजस्व ग्राम सट्टी का मजरा मुल्लू की मड़ैया मार्ग	2.100	104.91	7.62	112.53	86.03
36	2444(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	कानपुर	इटावा/ नि0ख0-1	एन0एच0.19 से अड्डा चुन्नीलाल सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	1.000	90.87	4.68	95.55	74.51
37	2436 (99-I)/समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 29-09-2025	लखनऊ	उन्नाव/ नि0खं0-1	भगवान दीन खेड़ा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	2.000	119.02	8.64	127.66	97.60
38	2436 (99-I)/समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 29-09-2025	लखनऊ	रायबरेली/ प्रा0खं0	खुरहटी मार्ग से भितरी सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य	1.700	98.71	7.16	105.87	80.94
39	2436 (99-I)/समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 29-09-2025	लखनऊ	सीतापुर/ नि0खं0-4	परसेण्डी खैराबाद मार्ग से भूड़ा के मध्य छूटी कड़ी	1.100	77.77	5.65	83.42	63.77
40	2546 (99-I)/समग्र वृत्त/2025-26, दिनांक 15-10-2025	लखनऊ	लखनऊ/ नि0खं0-2	लखनऊ-कानपुर मार्ग से अन्धपुर नहर पटरी मार्क से प्राथमिक विद्यालय आर0सी0एल0 सिटी होते हुए रानीखेडा मार्ग प्राथमिक विद्यालय का नवनिर्माण (छूटी कड़ी)का कार्य।	1.400	115.30	6.13	121.43	94.55
41	2444(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	मेरठ	मेरठ/ नि0ख0	दातल जटौली मार्ग से एन0एच0-58 की ओर मार्गो के नव निर्माण का कार्य।	1.200	124.28	4.18	128.46	101.91
42	2444(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	मेरठ	बागपत/ प्रा0ख0	ग्राम ब्राहम्णपुट्ठी से बली मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	1.200	55.32	4.01	59.33	45.36
43	2444(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	मेरठ	गाजियबाद/ नि0ख0-2	डबाना से भनैडा मार्ग नवनिर्माण का कार्य।	2.525	139.33	10.22	149.55	114.25
44	2444(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	मेरठ	हापुड/ प्रा0ख0	ग्राम जमालपुर से ग्राम बिल्हेरा मार्ग तक नवनिर्माण का कार्य।	1.700	106.48	7.73	114.21	87.31
45	2444(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	मेरठ	गौतमबुद्ध नगर/ प्रा0ख0	गुलावठी से खंगोड़ा सम्पर्क मार्ग	1.900	116.97	8.50	125.47	95.92
46	2461(99)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 03.10.2025	मुरादाबाद	अमरोहा प्रा0खं0	आलमपुर तिराहे से लिसडी तक मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य।	1.100	67.69	4.63	72.32	55.51
47	2514(76-V)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 09.10.2025	मुरादाबाद	अमरोहा प्रा0खं0	भेड़ा भरतपुर से रतनपुर तक मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य।	2.200	111.85	8.12	119.97	91.72
48	2461(99)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 03.10.2025	मुरादाबाद	रामपुर प्रा0खं0	खाता से बिजली फार्म छूटी कड़ी मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	2.100	142.42	10.44	152.86	116.78
49	2461(99)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 03.10.2025	मुरादाबाद	रामपुर प्रा0खं0	कौशलगंज धुरियाई से इन्दरपुर बरादरी मैन रोड तक मार्ग	2.900	206.12	15.12	221.24	169.02
					योग	5460.66	377.25	5837.91	4477.72

(1) प्रायोजनान्त प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति(डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा समक्ष स्तर से तनकीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75, दिनांक 11.11.14 एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश विभाग सं0-बी-1-901/दस- 2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के क्रम में लोक निर्माण विभाग की प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी। सेन्टेज चार्जेज(प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त(लेखा)अनु02 के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश सं0-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत विभाग द्वारा सर्वप्रथम भूमि अधिग्रहण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण किया जाये तदोपरान्त ही मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये। यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(9) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(10) प्रायोजनान्तर्गत आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय, वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(11) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(13) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(14) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों हेतु पंचवर्षीय अनुरक्षण की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाय।

(15) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के ससमय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(16) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(17) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय में ही पूर्ण हो जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(18) यदि प्रायोजना में भूमि अध्यासि का प्राविधान किय गया है तो भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(19) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्राशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। अतः प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(20) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय-वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय-वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(23) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है, तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(24) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

(25) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(26) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(27) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/ बी-1-352/दस-2025-231/2023, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(28) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 44,77,72,000 (रुपये चौवालीस करोड़ सतहत्तर लाख बहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371356 मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक के निर्माण हेतु व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-8-650-X-2025-26-दिनांक:8-12-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

संख्या- उपरोक्त एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।